# उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

# सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों)

की

# नियमावली

1974

(दिनांक 01 जुलाई, 2012 तक संशोधित)

# विधान सभा सचिवालय, लखनऊ

## अधिष्ठान अनुभाग

---

### उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) के नियम, 1974

भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से, उत्तर प्रदेश विधान सभा के साचविक कर्मचारिवृन्द में भर्ती के तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

### भाग 1-प्रारम्भिक

1-संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी। ‡

2-परिभाषाएं-जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(1) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य सभा के अध्यक्ष से है, जिसमें उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 (1) के अन्तर्गत अध्यक्ष के कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं :§

(2) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(3) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य नियम-31 के अधीन तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी से है ;

(4) 'परिषद्' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है ;

(5) 'सीधी भर्ती' (डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट) का तात्पर्य-

(क) पदोन्नति, अथवा

(ख) राज्य की अन्य सेवाओं में से प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के अतिरिक्त भर्ती से है ;

(6) 'विधान मण्डल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से है ;

---

‡ गजट में प्रकाशन दिनांक 1-7-74 को हुआ।

§ विज्ञप्ति सं0 5595/XVII-79-199-64 दिनांक 1 जनवरी, 1980 द्वारा संशोधित।

(7) 'प्रमुख सचिव' का तात्पर्य सभा प्रमुख सचिव से है ;

(8) 'सभा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है ;

(9) 'सचिवालय' का तात्पर्य सभा सचिवालय से है ;

(10) 'सभापति' का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है ;

(11) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सभा सचिवालय सेवा से है ;

(12) 'सेवा के सदस्य' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो इन नियमों अथवा इन नियमों के पूर्व लागू नियम अथवा आदेशों के अन्तर्गत सेवा के किसी संवर्ग के किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो और ऐसे पद को धारण कर रहा हो ;

[(13) "प्रतियोगिता परीक्षा" का तात्पर्य सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिये अध्यक्ष द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा से है। ][1]

## भाग-2-गठन एवं संवर्ग

3-<u>सचिवालय का गठन तथा उसके विभिन्न संवर्गों की पद संख्या</u>-

(1) अध्यक्ष के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन सभा का एक पृथक सचिवालय होगा।

(2) सेवा में प्रत्येक प्रकार के पदों की संख्या, वह होगी जो अध्यक्ष द्वारा नियम-51 के अधीन रहते हुए समय-समय पर निश्चित की जाय।

(3) सेवा में प्रत्येक प्रकार के स्थायी पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (2) के अन्तर्गत अन्यथा निश्चित न की जाय वह होगी जो अनुसूची 1 में दी हुई है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को बिना प्रतिकर का हकदार बनाये हुए नियुक्ति प्राधिकारी किसी पद को रिक्त अथवा आस्थगित रख सकता है।

(4) नियम-51 के अधीन रहते हुए अध्यक्ष ऐसे स्थायी तथा अस्थायी पदों का समय-समय पर सृजन कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जायं।

4-<u>सभा और परिषद् सचिवालयों के लिये सम्मिलित पदों का सृजन, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें</u>--

(1) राज्यपाल, अध्यक्ष तथा सभापति के परामर्श से विधान मण्डल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पद अथवा पदों का सृजन कर सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन सृजित पदों पर राज्यपाल, अध्यक्ष तथा सभापति के परामर्श से नियुक्ति कर सकेंगे।

---

1—अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) उपनियम (1) के अधीन सृजित पदों पर भर्ती की तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष एवं सभापति के परामर्श से समय-समय पर दिये गये आदेशों के अधीन होगा।

5-वर्गीकरण-अनुसूची 1 में उल्लिखित विभिन्न संवर्गों के पदों का वर्गीकरण राज्य सरकार के अधीन पदों पर तत्समय प्रयुक्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये या जारी किये गये नियमों या आदेशों के अनुसार होगा।

## भाग-3-भर्ती

6-भर्ती की रीति तथा स्रोत-(1) सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती की रीति तथा उसका स्रोत निम्नलिखित होगा :-

[(1) **प्रमुख सचिव**-अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश — सदस्य

(ख) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के न हों, तो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई एक व्यक्ति। यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हों, तो अध्यक्ष द्वारा एक ऐसा व्यक्ति नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का न हो, — सदस्य

(ग) यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के न हों, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का एक व्यक्ति नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि अध्यक्ष या उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के हों, तो अध्यक्ष द्वारा एक ऐसा व्यक्ति नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हों, ][2] — सदस्य

[(2) **अनु सचिव**-सचिवालय के ऐसे स्थायी अनुभाग अधिकारियों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो, जिसके अन्तर्गत अस्थायी और स्थानापन्न सेवा भी है, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार

---

2-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित

करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा और जहां ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय, वहां किसी ऐसे पद के ऐसे स्थायी पदधारी में से, जो परिषद् सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभाग अधिकारी से निम्न पद का न हो और जिसने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा की हो, जिसके अन्तर्गत अस्थायी और स्थानापन्न सेवा भी है नियुक्ति द्वारा :-

चयन समिति का गठन

(क) प्रमुख सचिव — अध्यक्ष

(ख) यदि प्रमुख सचिव अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के न हों, तो प्रमुख सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो। यदि प्रमुख सचिव अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों, तो प्रमुख सचिव द्वारा एक ऐसा अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो, नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो, — सदस्य

(ग) यदि प्रमुख सचिव अन्य पिछड़े वर्गों के न हो, तो प्रमुख सचिव द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हों, नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा। यदि प्रमुख सचिव अन्य पिछड़े वर्गो के हों, तो प्रमुख सचिव द्वारा एक ऐसा अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, जो अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का न हो ।][3] — सदस्य

[(3) मार्शल-खण्ड (दो) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मार्शलों में से पदोन्नति द्वारा, जिन्होंने चयन के वर्ष की प्रथम जुलाई को इस रूप में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जिसके अन्तर्गत अस्थायी और स्थानापन्न रूप से की गयी सेवा भी है और यदि पात्र या उपयुक्त उप मार्शल उपलब्ध न हो, तो खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।

(3-क) **उप मार्शल**-खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा ।][4]

[(3-ख) **सहायक मार्शल (पुरुष/महिला)**-स्थायी वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (पुरुष/महिला) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।][5]

---

3-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
4-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
5-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा जोड़ा गया।

4- (* * * *)[6]

[(5) **अनुभाग अधिकारी**-सचिवालय के ऐसे स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो (जिसके अन्तर्गत इस रूप में अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर की गयी सेवा भी है) अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा और जहां, कोई ऐसा समीक्षा अधिकारी उपलब्ध न हो या उपयुक्त न पाया जाय, वहां परिषद् सचिवालय या उत्तर प्रदेश सचिवालय के ऐसे स्थायी समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो (जिसके अन्तर्गत इस रूप में अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर की गयी सेवा भी है) नियुक्ति द्वारा। ][7]

[(6) **पुस्तकालयाध्यक्ष एवं मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी**-खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।

(6-क) **शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी**-खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा ][8]

7- (* * * *)[9]

[(8) **निजी सचिव** (ग्रेड-4)-सचिवालय के स्थायी निजी सचिवों (श्रेणी-3) में से खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन समिति द्वारा नियत "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(8-क) **निजी सचिव** (श्रेणी-3)-सचिवालय के स्थायी निजी सचिवों (श्रेणी-2) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(8-ख) **निजी सचिव** (श्रेणी-2)-सचिवालय के स्थायी निजी सचिवों (श्रेणी-1) में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(8-ग) **निजी सचिव** (श्रेणी-1)-सचिवालय के स्थायी अपर निजी सचिवों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की अस्थायी या स्थानापन्न सेवा पूरी कर ली हों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ][10]

---

6-विज्ञप्ति दिनांक 07 अगस्त, 1986 द्वारा निकाला गया।
7-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
8-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
9-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा निकाला गया।
10 -अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(9) **मुख्य प्रतिवेदक**–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मुख्य प्रतिवेदक की, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा, परन्तु यदि उप मुख्य प्रतिवेदक उपयुक्त न पाया जाय, तो उक्त पद को ऐसे स्थायी प्रतिवेदकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा की हो, जिसके अन्तर्गत प्रतिवेदक के रूप में अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर की गयी सेवा भी है, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर भरा जा सकता है।

(10) **उप मुख्य प्रतिवेदक**–ऐसे स्थायी प्रतिवेदकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम दस वर्ष की सेवा की हो, जिसके अन्तर्गत प्रतिवेदक के रूप में अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर की गयी सेवा भी है, खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।][11]

[(11) **मुख्य संपादक**–सचिवालय के सेवारत स्थायी संपादकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की अस्थायी या स्थानापन्न सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(11-क) **संपादक**–खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।][12]

[(12) **उप पुस्तकाध्यक्ष**–खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।

(13) **सहायक पुस्तकाध्यक्ष**–खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी सूचीकारों में से पदोन्नति द्वारा।

(14) **सूचीकार**–खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से चयन करके सीधी भर्ती द्वारा।][13]

(15) **कोषाध्यक्ष**–अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर स्थायी अवर वर्ग सहायकों में से पदोन्नति द्वारा।

(16) (* * * *)[14]

[(17) वृत्त लेखक — अध्यक्ष के आदेशों के अधीन अध्यक्ष द्वारा अवधारित आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(18) समीक्षा अधिकारी
(19) अपर निजी सचिव
(20) अनुवादक

} अध्यक्ष द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष के आदेशों के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

---

11. अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
12. अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा जोड़ा गया।
13. अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
14. अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा निकाला गया।

(21) **सहायक समीक्षा अधिकारी**–खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।]15

| | |
|---|---|
| (22) टाइप राइटर मैकेनिक<br>(23) ड्राइवर | बिना आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती द्वारा। |
| (24) साक्षर दफ्तरी<br>(25) दफ्तरी<br>(26) जमादार<br>(27) जैनिटर<br>(28) जिल्दसाज | बिना आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चपरासी (डोर कीपर), चपरासी, फर्राश तथा जलवाहक में से पदोन्नति द्वारा। |
| (29) विधान सभा रक्षक<br>(30) चपरासी (डोर कीपर)<br>(31) चपरासी<br>(32) फर्राश<br>(33) जलवाहक<br>(34) सफाई मजदूर | सीधी भर्ती द्वारा। |

[(2) यदि कोई कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नति के लिये पात्र हो और इस रूप में पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाता है तो उससे ज्येष्ठ व्यक्ति को भी पात्र समझा जायेगा और उसे भी पात्रता सूची में इस बात को होते हुए भी कि ऐसे ज्येष्ठ व्यक्ति ने अपेक्षित सेवा–अवधि पूरी नहीं की है, सम्मिलित किया जायेगा।]16

7–**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण**–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों अथवा अन्य वर्गों के लिये आरक्षण, सरकार के ऐसे सामान्य आदेशों के अनुसार होगा, जो भर्ती के समय प्रवृत्त हों।

टिप्पणी–इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त वर्तमान आदेशों की एक प्रतिलिपि अनुसूची–3 में दी गयी है।

8–**राष्ट्रीयता**–सचिवालय के अधीन किसी पद या सेवा में भर्ती होने के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा हो, या

(ग) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो, या

---

15- अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
16-विज्ञप्ति दिनांक 7 अगस्त, 1986 द्वारा जोड़ा गया।

(घ) वह मूलतः भारतीय निवासी का वंशज हो और पाकिस्तान, वर्मा, लंका तथा पूर्वी अफ्रीका के कैनिया उगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियां (जिसका पहले तांगानिका और जंजीवार नाम था) के देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ग) या (घ) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वर्ग (ग) के अभ्यर्थी की पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा (इन्टेलिजेन्स ब्रांच) उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला पात्रता का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करना होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त वर्ग (घ) का है तो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में एक वर्ष के बाद तभी रहने दिया जा सकता है जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो लेकिन उसे वह न तो दिया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, आयोग या अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह इस आवश्यक प्रमाण-पत्र को प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में ऐसा प्रमाण-पत्र जारी कर लिया जाय।

9–आयु सीमा–सचिवालय के विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये जिस वर्ष पद विज्ञापित हो उस वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम आयु से कम अथवा अधिकतम आयु से अधिक का नहीं होगा :–

| | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| (1) प्रमुख सचिव .. .. | 35 | 52 |
| (2) मार्शल .. .. | 30 | 45 |
| [(2–क) उप मार्शल .. .. | 30 | 40][17] |
| (3) पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 30 | 40 |
| [(3–क) शोध एवं संदर्भ अधिकारी .. .. | 30 | 40][18] |
| (4) उप पुस्तकाध्यक्ष .. .. | 30 | 35 |
| (5) वृत्त लेखक .. .. | 22 | 35 |
| (6) अपर निजी सचिव .. .. | 21 | 30 |
| (7) समीक्षा अधिकारी (जिसमें समीक्षा अधिकारी एवं केयरटेकर भी सम्मिलित है) .. .. | 21 | 27 |

17-विज्ञप्ति दिनांक 7 अगस्त, 1986 द्वारा जोड़ा गया।
18-विज्ञप्ति दिनांक 7 अगस्त, 1986 द्वारा जोड़ा गया।

| | | |
|---|---|---|
| (8) अनुवादक .. .. | 21 | 27 |
| (9) सूचीकार .. .. | 21 | 27 |
| (10) सहायक समीक्षा अधिकारी .. .. | 21 | 27 |
| (11) टाइपराइटर मैकेनिक .. .. | 18 | 23 |
| (12) मोटर ड्राइवर .. .. | 18 | 40 |
| (13) सुरक्षा सहायक .. .. | 21 | 25 |
| | डिमोबिलाइज्ड मिनिटरी पर्सनल तथा वैभागिक अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष | |
| (14) वर्ग 4 के अन्य कर्मचारी .. .. | 18 | 30 |

[परन्तु अध्यक्ष किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग के अभ्यर्थी के पक्ष में अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान कर सकता है, यदि वह निष्पक्ष कार्यवाही या लोकहित में आवश्यक समझे।][19]

टिप्पणी–अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष अधिक होगी।

10–**शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें**–निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थियों को उनके सामने उल्लिखित शैक्षिक तथा अन्य न्यूनतम आवश्यक अर्हतायें होंगी–

[(1) **प्रमुख सचिव**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की विधि के स्नातक की उपाधि, एडवोकेट या प्लीडर के नाते अथवा जुडीशियल सर्विस में सेवा का अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के सचिवालय या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के विधि विभाग में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। संसदीय कार्य एवं विधायी प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।][20]

(2) **अनु सचिव**–ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी जो विधि के स्नातक हों और जिन्हें विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

(3) **मार्शल**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि। इसके अतिरिक्त किसी राजपत्रित पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या पुलिस, प्रांतीय रक्षक दल, होमगार्ड, प्रादेशिक सेना, पी0ए0सी0 का सादर उन्मुक्त अधिकारी हो, या जल, थल अथवा वायु सेना का रिलीज्ड कमीशन्ड आफिसर हो। ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी भी प्रदेश के विधान सभा या विधान परिषद् में मार्शल के पद पर सेवा का अनुभव प्राप्त हो, वरीयता दी जायेगी।

(4) **समिति अधिकारी**–ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी जो विधि के स्नातक हों और जिन्हें विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो।

---

19-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
20-विज्ञप्ति दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(5) **पुस्तकालयाध्यक्ष और मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि, पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि, किसी ख्याति प्राप्त पुस्तकालय में कम से कम पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव और हिन्दी और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।][21]

[(5–क) **शोध एवं संदर्भ अधिकारी**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य में या किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और उच्च स्तर की प्रकाशित रचना या पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभवः

परन्तु ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास पुस्तकालय विज्ञान या विधि में उपाधि हो और जिसे विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय कार्य का अनुभव हो :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने शोध एवं संदर्भ अधिकारी के पद पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (संशोधन) नियमावली, 1986 के प्रारम्भ होने के पूर्व कम से कम छः महीने तक की अवधि के लिये कार्य किया हो, इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये अर्ह समझा जायेगा।][22]

[(6) **समीक्षा अधिकारी**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या समकक्ष।][23]

(7) **वृत्त लेखक**–उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश (बोर्ड आफ हाई स्कूल इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश) की इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा हिन्दी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति।

[(8) **अपर निजी सचिव**–

(एक)–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।

(दो)–हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।

(तीन)–कम्प्यूटर का ज्ञान निम्नानुसार होना चाहिए –

(क) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित कम्प्यूटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स (सी0सी0सी0) के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम,

(ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य पाठ्यक्रम।][24]

(9) **उप पुस्तकाध्यक्ष**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा, किसी उत्तम पुस्तकालय में न्यूनतम 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव तथा हिन्दी और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान।

---

[21]-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
[22]-विज्ञप्ति दिनांक 29 मई, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।
[23]-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
[24]-अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(9–क) **उप मार्शल**–(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि, और (दो) पुलिस निरीक्षक या पुलिस उप निरीक्षक जो निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र हो या ससम्मान अवमुक्त सूबेदार या कोई अन्य ऐसा कार्मिक जो प्रान्तीय रक्षक दल, होमगार्ड, प्रार्विंशियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, पुलिस सेवा या सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी समकक्ष पद पर रहा हो।][25]

(10) **सूचीकार (कैटेलागर)**–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा अथवा किसी पुस्तकालय में न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

[(11) **सहायक समीक्षा अधिकारी**–

(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता।

(2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है।

**अधिमानी** : समस्त बातों के समान होते हुए अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी ।

प्रतिबन्ध यह है कि सचिवालय के समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।][26]

(12) **टाइपराइटर मैकेनिक**–टाइपराइटर की मरम्मत करने में दक्षता, टाइपराइटर यंत्र के संबंध में पूर्ण ज्ञान तथा हिन्दी और अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान। वरीयता हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी को दी जायेगी।

(13) **सुरक्षा सहायक**– उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश (बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश) की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो। ऐसे व्यक्ति को जिसे सेना, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस, पी0ए0सी0, प्रान्तीय रक्षक दल, एन0सी0सी0, टेरिटोरियल आर्मी या होमगार्ड्स में कार्य करने का अनुभव हो, वरीयता दी जायेगी, इसके अलावा निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक अर्हता होनी अनिवार्य है–

| | | | |
|---|---|---|---|
| ऊंचाई | ..... | ..... | 1.68 मीटर |
| वजन | ..... | ..... | 59 किलोग्राम |
| सीना | ..... | ..... | 86 सेंटीमीटर (बिना फुलाये हुए) |
| | | ..... | 91 सेंटीमीटर (फुला कर) |

**टिप्पणी**–इन नियमों के अन्तर्गत विभिन्न पदों के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में ऐसी शैक्षिक अर्हतायें भी शामिल समझी जायेंगी, जो राज्य सरकार द्वारा उनके समकक्ष घोषित की जायें।

---

[25] -विज्ञप्ति दिनांक 29 मई, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित।

[26] -अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

11–अध्यक्ष के निजी सचिव के पद के संबंध में अपवाद–

(1) नियम 6 अथवा नियम 10 में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष–

(क) ऐसे व्यक्तियों में से, जो सचिवालय में मौलिक रूप से निजी सचिव (ग्रेड 2) का अथवा कम से कम 10 वर्ष तक वैयक्तिक सहायक का पद धारण करते हों, किसी व्यक्ति को बिना आयोग के परामर्श के चयन द्वारा अपना निजी सचिव नियुक्त कर सकते हैं, अथवा

(ख) प्रशासकीय कारणों से और विशेष परिस्थितियों में :–

(1) किसी व्यक्ति को सचिवालय के अन्य समकक्ष संवर्ग से अपने निजी सचिव के पद पर, या (2) अपने निजी सचिव को सचिवालय में अन्य समकक्ष संवर्ग के पद पर, स्थानान्तरित कर सकते हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त या स्थानान्तरण केवल अस्थायी या स्थानापन्न रूप में होगी और अध्यक्ष के निजी सचिव का पद अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त धारण किया जायेगा। कोई व्यक्ति केवल ऐसी ही नियुक्ति या स्थानान्तरण के कारण अपने मूल संवर्ग से भिन्न संवर्ग में स्थायी नियुक्ति या मूल संवर्ग से भिन्न संवर्ग के लिए उपलब्ध उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिये अथवा स्वयं अपने मूल संवर्ग में, जब तक कि अन्यथा पात्र न हो, स्थायी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिये हकदार नहीं हो सकेगा।

(3) नियम 33, 34, 35 और 36 की कोई बात उपनियम (1) के अधीन नियुक्त या स्थानान्तरित अध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर लागू नहीं होगी और अध्यक्ष किसी समय उक्त पद पर स्थानापन्न किसी व्यक्ति को उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित कर सकते हैं।

12–चरित्र–सचिवालय में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो सार्वजनिक सेवा के लिये उपयुक्त हो। वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के मुख्य शिक्षा प्राधिकारी अथवा विद्यालय के प्रधानाध्यापक जहां अंतिम शिक्षा ग्रहण की हो तथा दो दायित्वपूर्ण व्यक्तियों (संबंधी नहीं) जो उसके वैयक्तिक जीवन से भली प्रकार परिचित हों किन्तु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय से असम्बद्ध हों, से अपने उत्तम चरित्र के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा। किन्तु नियुक्ति अधिकारी भी उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त के संबंध में अग्रेतर जानकारी प्राप्त करेगा।

टिप्पणी–(1) ऐसे अभ्यर्थी को जिसने हाई स्कूल नहीं उत्तीर्ण की हो, और न उसने किसी शिक्षा संस्था में शिक्षा ग्रहण की हो, किन्हीं दो दायित्वपूर्ण व्यक्तियों (संबंधी नहीं), जो उसके वैयक्तिक जीवन से भलीभांति परिचित हों, से अपने उत्तम चरित्र का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी–(2) केवल दोष-सिद्धि (कन्विक्शन) उत्तम चरित्र के प्रमाण-पत्र के अस्वीकार करने के कारण नहीं होना चाहिये और यदि वह किसी सदाचार भंग करने (मौरल टरपीट्यूड), हिंसा के अपराध अथवा किसी विधिवत् स्थापित सरकार को हिंसा द्वारा अपदस्थ करने के

उद्देश्य वाले किसी आन्दोलन से सम्बद्ध नहीं है, तो केवल दोषसिद्धि को अनर्हता (डिसक्वालीफिकेशन) नहीं समझा जाना चाहिये।

टिप्पणी–(3) संघीय सरकार, किसी राज्य सरकार, अर्ध राजकीय संस्था अथवा निगम द्वारा विमुक्त (डिसमिस्ड) अभ्यर्थी पात्र नहीं समझा जायेगा।

13–**शारीरिक उपयुक्तता**–किसी व्यक्ति को सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ न हो और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जो उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो।

सीधी भर्ती द्वारा चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये, उसकी नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति से पूर्व, यह आवश्यक होगा कि यदि वह पहले से ही सचिवालय या सरकार की सेवा में न हो तो वह फाइनेंशियल हैण्डबुक वाल्यूम 2, पार्ट 2 से 4 के चैप्टर 3 के फंडामेन्टल रूल 10 के अधीन रहते हुए–

(क) राजपत्रित पद का अभ्यर्थी होने की दशा में मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, जो उसकी नियुक्ति के लिये शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त या अनुपयुक्त होने का प्रमाण-पत्र देगा और–

(ख) अन्य पदों पर नियुक्ति का अभ्यर्थी होने की दशा में यथा स्थिति मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, उसके द्वारा हस्ताक्षरित नियुक्ति के लिये शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

14–**वैवाहिक स्थिति**–कोई पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा कोई स्त्री जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो किसी सेवा में अथवा पद पर नियुक्ति के पात्र न होंगे।

यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो वे अध्यक्ष के परामर्श से किसी व्यक्ति को उपर्युक्त नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकते हैं।

15–**मतार्चना (कन्वेंसिंग)**–इस नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुतियों के अतिरिक्त भर्ती के लिए की गई किसी भी लिखित या मौखिक संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य साधनों द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा तो वह अनर्ह कर दिया जायेगा।

## भाग–4–भर्ती की प्रक्रिया

### क–सीधी भर्ती

[16–**रिक्त पदों की संख्या**– "भर्ती का वर्ष" में विधान सभा सचिवालय में रिक्त या सम्भाव्य रूप में रिक्त होने वाले पदों की संख्या को अभिनिश्चित करेंगे और उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष को अवगत करायेंगे।

17–**वृत्त लेखक के रिक्त पदों पर आरक्षण**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदकों के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अनधिक रिक्त पंद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे जिनकी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के

लिए चयन समिति द्वारा नियत दिनांक को उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की अस्थायी सेवा हो गयी हो तथा जिसका कार्य संतोषजनक रूप में प्रमाणित कर दिया गया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु भर्ती के वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसी आरक्षित रिक्तियाँ नियम–6 के उपनियम (1) के खण्ड (17) के अधीन आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाएंगी, प्रतिबंध यह है कि अभ्यर्थी उस मानक तक के हों, जैसा कि युक्तियुक्त समझा जाय।

18–**अपर निजी सचिव के रिक्त पदों का आरक्षण–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार प्रत्येक वर्ष अपर निजी सचिवों के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष के उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, जिनकी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए चयन समिति द्वारा नियत दिनांक को उक्त पद पर न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की अस्थायी सेवा हो गयी हो तथा जिसका कार्य संतोषजनक रूप में प्रमाणित कर दिया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों की आयु भर्ती के वर्ष की जुलाई से प्रथम दिवस को 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसी आरक्षित रिक्तियाँ नियम–6 के उप नियम (1) के खण्ड (19) के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाएगी, प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी उस मानक तक के हों, जैसा कि युक्तियुक्त समझा जाय।

19–**समीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों में आरक्षण–** (1) नियम–6 के उपनियम (1) के खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से।

(2) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो पदोन्नति द्वारा।][27]

20–**अनुवादक के रिक्त पदों में आरक्षण–** (1) नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष अनुवादक के रिक्त पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक रिक्त पद उस वर्ष उन व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे जिनकी आयोग द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये नियत दिनांक को न्यूनतम एक वर्ष की अस्थायी सेवा उक्त पद पर हो गयी हो तथा जिनका कार्य संतोषजनक प्रमाणित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि उनकी आयु भर्ती किये जाने वाले वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन 35 वर्ष से अनधिक हो।

(2) ऐसे आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति आयोग द्वारा नियम 6 (20) के अन्तर्गत आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जायेगी, यदि अभ्यर्थी उस स्तर का हो जो आयोग उपयुक्त समझे।

---

[27] -अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

[21–**सहायक समीक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों में आरक्षण**–(1) सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार भरा जायेगा :–

(क) नियम–6 के उपनियम (1) के खण्ड (2) के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) रिक्तियों की कुल संख्या की 15 प्रतिशत रिक्तियाँ समूह 'घ' के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित की जायेगी जिन्होंने 45 वर्ष की आयु पूर्ण न किये हों और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और जिन्होंने पाँच वर्ष की निरन्तर और संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लिये हों।

(ग) 35 प्रतिशत रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से निम्नानुसार भरा जाएगा :–

(एक) 25 प्रतिशत टेलीफोन मॉनीटर एवं टेलीफोन ऑपरेटरों की पदोन्नति द्वारा।

(दो) 10 प्रतिशत स्थायी कनिष्ठ श्रेणी (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित रिक्तियों के लिए भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों में से की जायेगी, जो उस मानक तक पहुँचे हों, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे।

22–**सीधी भर्ती द्वारा चयन**–(1) प्रमुख सचिव, मार्शल, पुस्तकाध्यक्ष एवं मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी, संपादक तथा सूचीकार के पदों के रिक्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा। नियत समय के भीतर अभ्यर्थियों का आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के चयन हेतु सम्बन्धित चयन समिति को आवेदन-पत्र प्रेषित करेगा।

(2) चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुला सकता है जो प्रथम दृष्टया विशिष्ट पदों के लिए विहित अर्हताओं के अनुसार पात्र हों।

(3) चयन समिति यथाशीघ्र अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात श्रेष्ठता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी चयनित अभ्यर्थियों की सूची से श्रेष्ठता क्रम में नियुक्ति करेगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूची में से क्रमानुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा यदि वह संतुष्ट हो कि अन्य दृष्टियों में से अर्ह हैं।

23–**परीक्षा**–(1) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं नियम पृथक रूप से अध्यक्ष के अनुमोदन से तैयार किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष किसी वाह्य अभिकरण को यदि अपेक्षित हो सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया या उसके आंशिक भाग को संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(3) विधान सभा अध्यक्ष द्वारा प्रमुख सचिव, विधान सभा की अध्यक्षता में चयन आयोजित करने के लिए किये गये विनिश्चय की स्थिति में नियम–6 के उपनियम (1) के खण्ड (2) के अनुसार चयन समिति गठित की जाएगी।

24–**परीक्षाफलों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन**–(1) चयन समिति प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की एक ज्येष्ठता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी। यदि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक एक समान हों, तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी श्रेष्ठता सूची से क्रम में अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

25–**शुल्क**–प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन-पत्र साक्षात्कार अथवा परीक्षा के लिए ऐसी शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाय। साधारणतया इन शुल्कों को वापस करने का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही भविष्य में होने वाली किसी परीक्षा अथवा चयन के लिए ऐसे शुल्क का समायोजन किया जायेगा।

26–**आवेदन-पत्र**–इन नियमों के अधीन चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए सम्बन्धित चयन समिति द्वारा विहित प्रपत्र में प्रत्येक आवेदन-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।][28]

27–**विभिन्न लघु पदों के अभ्यर्थियों का सीधी भर्ती के लिए चयन**–टाइपराइटर मैकेनिक, मोटरकार, ड्राइवर तथा निम्न-वर्गीय सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये चयन उन व्यक्तियों में से किया जायेगा जो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करें तथा नियुक्ति प्राधिकारी जिन्हें योग्य समझें।

28–**अनु सचिव, समिति अधिकारी आदि के पद पर भर्ती की प्रक्रिया**–(1) नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति अनु सचिव समिति अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव (प्रवरण श्रेणी), निजी सचिव (ग्रेड–2) मुख्य प्रतिवेदक या उप मुख्य प्रतिवेदक के पद के लिये नियम–6 तथा 10 के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जो पात्रता सूची कही जायेगी तैयार करेगा, जिसमें, यथासंभव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–

| | |
|---|---|
| 1 से 5 रिक्तियों के लिये | रिक्तियों की संख्या का पांच गुना किन्तु कम से कम 15; |
| 6 से 12 रिक्तियों के लिये | रिक्तियों की संख्या का चार गुना किन्तु कम से कम 25; |
| 12 रिक्तियों से अधिक के लिये | रिक्तियों की संख्या का तीन गुना किन्तु कम से कम 50; |

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूची तैयार की जायेगी। उस दशा में भर्ती के द्वितीय तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रखी जायेगी।

| | |
|---|---|
| (क) द्वितीय वर्ष के निमित्त | उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग; |
| (ख) तृतीय वर्ष के निमित्त | उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के रिक्तियों की संख्याओं का योग; और इसी प्रकार आगे भी: |

---

28 - अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

**स्पष्टीकरण**–1–"रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो सूची 'ख' के अभ्यर्थियों के मौलिक रिक्तियों के प्रति संविलीन किये जाने की संभावना पर विचार करने के पश्चात् भर्ती के वर्ष में हुई हो।

**स्पष्टीकरण**–2–सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिये पात्रता की एक-एकल सूची तैयार की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों की पद क्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियां और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियां आयोग को प्रेषित करेगा और उसे विभिन्न प्रकार की रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा जिन पर सूची या सूचियां तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया गया हो।

(3) यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि उपनियम (2) के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठतम अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियां उसमें सम्मिलित करने के लिये कह सकता है जिन्हें वह उचित समझें, और नियुक्ति प्राधिकारी तद्नुसार उपनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संगठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित अन्य सदस्य जो समिति का अध्यक्ष होगा।

(ख) प्रमुख सचिव, विधान सभा, तथा

(ग) प्रमुख सचिव, विधान परिषद्।

(5) (क) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिये कोई दिनांक निश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि चयन कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है।

(ख) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति के द्वारा किया जाना चाहिये तो नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति, ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिये उपर्युक्त दिनांक या दिनांकों पर बुलायेगा।

(ग) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र-पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है जो उसकी राय में संगत हो।

(6) (क) चयन समिति योग्यता के अनुसार निम्नलिखित रूप से दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात् :–

(1) सूची क–जिसमें उपनियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गयी स्थायी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे।

(2) सूची ख–जिसमें उपनियम (2) के अधीन आयोग को सूचित की गयी अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये सिफ़ारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा ऐसे अभ्यर्थियों के नाम यदि कोई हों, होंगे जो उपनियम (9) के खण्ड (ख) के अनुसार किसी विचाराधीन सूची "ख" पर पुनर्विचार करने पर अग्रेनीत हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसे रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के संबंध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा ऐसी दशा में किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उससे बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व, निकाल दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में सूची 'क' को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। जब स्थायी रिक्तियों की संख्या सूची 'ख' से स्थायी रिक्तियों में लिये जाने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो।

(7) आयोग चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् अनुमोदित सूची 'क' तथा 'ख' को नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

(8) खण्ड (क) के उपबन्धों तथा उपनियम (9) के खण्ड (ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से सूची 'क' तथा 'ख' में से प्रत्येक को फिर से क्रमबद्ध करेगा।

(9) (क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये भर्ती वर्ष के दौरान स्थायी रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो सकतीं, वर्ष के अन्त में सूची 'ख' में सबसे ऊपर उसी क्रम में स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन क्रमबद्ध सूची 'क' में उनके नाम आये हों।

(ख) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो सकतीं, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायेगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या आचरण उसे उक्त सूची से हटाने का औचित्य प्रदान कर सके तो वह उस सूची से उसका नाम हटा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची 'ख' के लिये पहली बार हुआ है उन अभ्यर्थियों के नीचे रखे जायेंगे जो उस सूची में पहले से ही हों।

(10) (क) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थी स्थायी रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आये हों।

(ख) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये स्थायी रिक्तियां तत्काल उपलब्ध न हों, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थी के अधिमान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उक्त क्रम में, नियुक्त किये जायेंगे।

(11) उपनियम (10) के उपखण्ड (ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति तथा सूची 'क' के निःशेष हो जाने पर स्थायी रिक्तियों के प्रति भी उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में उपनियम (8) के अधीन फिर से क्रम–बद्ध सूची में उनके नाम आये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति के प्रति नियुक्त सेवा के सदस्य ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो वह उसे बिना कोई कारण दिये उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिस पद से उसकी पदोन्नति हुई थी।

(12) उपनियम (11) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सूची 'ख' के शेष अभ्यर्थी भर्ती के आगामी वर्ष में सूची 'क' के लिए पहली बार चयन किये गये किसी अभ्यर्थी के अधिमान में नयी मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये जायेंगे।

29–**<u>वृत्त लेखक, प्रवरण श्रेणी, अथवा सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की प्रक्रिया</u>** :–(1) सिवाय उपनियम (3) में की गयी अन्यथा व्यवस्था के, नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम से अभ्यर्थियों को जो नियम–6 और 10 के अधीन यथास्थिति वृत्त लेखक प्रवरण श्रेणी, या सहायक पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिये पात्र हों, एक सूची जो "पात्रता सूची" कहलायेगी तैयार करेगा और जिसमें, यथासंभव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे:–

| | |
|---|---|
| 1 से 5 तक रिक्तियों के लिये | रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5, |
| 5 से अधिक रिक्तियों के लिये | रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10, |

नियम–28 उपनियम (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा स्पष्टीकरण आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम में लागू होंगे।

(2) नियम–28 में नियत शेष प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तन के साथ इस नियम के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि नियम–28 में अभिदिष्ट सूची 'क' और 'ख' दोनों में से प्रत्येक चयन समिति द्वारा, अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायेगी और उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठतम अभ्यर्थी सूची 'क' में रखे जायेंगे।

(3) उपनियम (1) तथा (2) में से किसी बात के होते हुए भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये पूर्णतः योग्य हैं और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है तो आयोग, यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हो, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे।

30–**साक्षर दफ्तरी, दफ्तरी, जमादार, जेनरेटर अथवा जिल्दसाज के पद पर भर्ती की प्रक्रिया** :– साक्षर दफ्तरी, दफ्तरी, जमादार, जेनरेटर अथवा जिल्दसाज के पदों पर भर्ती के लिये सम्बन्धित पद के पात्रता के क्षेत्र में आने वाले सचिवालय के समस्त संबंधित व्यक्तियों में से अनुपयुक्त को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन किया जायेगा।

## भाग–5 नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

31–**नियुक्ति प्राधिकारी**–नियम–3 और 4 के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत दिये गये राज्यपाल के आदेशों के अधीन रहते हुए सचिवालय में–

(क) सभी राजपत्रित पदों पर नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, और–

(ख) अन्य सभी पदों पर नियुक्ति प्रमुख सचिव द्वारा की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इन नियमों के लागू होने से पूर्व कोई स्थाई नियुक्ति या स्थाई नियुक्ति के प्रयोजन से परिवीक्षा पर नियुक्ति राज्यपाल तथा अध्यक्ष ने की हो तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में राज्यपाल अथवा यथास्थिति अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी बने रहेंगे।

32–**प्रमाण–पत्रों आदि का प्रस्तुत किया जाना**–सीधी भर्ती द्वारा चयन किये गये प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये, उसकी नियुक्ति की अंतिम स्वीकृति से पूर्व, यह आवश्यक होगा कि–

(1) नियम–7 में निहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा, और

(2) वह निम्नलिखित विषय में घोषणा प्रस्तुत करेगा–

(क) यदि सचिवालय में नियुक्त किसी व्यक्ति से वे सम्बन्धित हों तो उससे अपने सम्बन्ध के बारे में,

(ख) ऋण से मुक्त होने के संबंध में,

(ग) अनुसूची–2 में नियत प्रपत्र में अपनी समस्त अचल सम्पति के संबंध में, और

(घ) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का अधिनियम संख्या–19) को पढ़ लेने तथा सचिवालय की पत्रावलियों के विषय को प्रकट करने के विरुद्ध शास्तियों की जानकारी के संबंध में।

**टिप्पणी**–उपयुक्त घोषणायें अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उसकी चरित्र पंजिका के साथ रखी जायेगी।

33–**नियुक्ति**–नियुक्ति प्राधिकारी चयन किये गये अभ्यर्थियों को इन नियमों के अधीन तदर्थ तैयार की गयी सूची, यदि कोई हो, में दिये हुए क्रम में सम्बन्धित पद पर नियुक्त करेगा।

34–**परिवीक्षा**–(1) सचिवालय में किसी पद पर मौलिक नियुक्ति के लिये 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) परिवीक्षा का काल पदभार ग्रहण करने तिथि से गिना जाएगा।

(3) संवर्ग के किसी पद पर अथवा किसी उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के स्व–विवेक में परिवीक्षा अवधि के लिए संगणना में सम्मिलित की जा सकती है।

(4) परिवीक्षा अवधि सामान्यतः एक वर्ष तक के लिये लिखित पर्याप्त कारणों के आधार पर, बढ़ाई जा सकती है, प्रत्येक बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिये वह बढ़ाई गयी हो। विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक समय के लिये भी बढ़ाई जा सकेगी परन्तु शर्त यह है कि परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न बढ़ाई जा सकेगी।

35–**उन्मुक्ति (Discharge) तथा प्रत्यावर्तन**–(1) यदि परिवीक्षा की अवधि में अथवा बढ़ाई हुई अवधि में अथवा अन्त में यह पाया जाता है कि परिवीक्षा ने प्रदत्त अवसरों का समुचित उपयोग नहीं किया है अथवा जिस स्तर की उससे अपेक्षा की गई थी, उसकी पूर्ति करने में वह असफल रहा है, तो उसे यदि उसका कोई स्थायी पद है तो उस पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, अन्यथा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(2) वह व्यक्ति, जिसकी सेवायें परिवीक्षा की अवधि में अथवा अन्त में समाप्त कर दी जायेंगी, किसी प्रकार के प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा।

36–**स्थायीकरण**–प्रत्येक परिवीक्षा, परिवीक्षा के अवधि या बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि वह स्थायीकरण के लिये उपयुक्त समझा जाता है और प्रवर वर्ग सहायक (जिसमें प्रवर वर्ग सहायक एवं केयरटेकर सम्मिलित है) अथवा अवर वर्ग सहायक के पद के परिवीक्षा की दशा में यदि वह कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकन भी कर सकता है।

## भाग–6 वेतन

37–**वेतन–क्रम और भत्ते**–सचिवालय में प्रत्येक संवर्ग के पद का वेतन–क्रम जिसमें अतिरिक्त वेतन अथवा विशेष वेतन सम्मिलित है, निर्वाह व्यय भत्ता तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो सरकारी सचिवालय में तत्सम संवर्ग के पद के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किये जायें। यदि शासकीय सचिवालय में कोई ऐसा पद न हो जैसा कि सचिवालय में हो, तो उस पद के लिये वेतन–क्रम जिसमें अतिरिक्त वेतन सम्मिलित है, अध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि वित्त विभाग की सहमति से विधिवत् परिवर्तित न किया जाय, तब तक सचिवालय के विभिन्न संवर्ग के पदों का वर्तमान वेतन–क्रम वह होगा, जो अनुसूची–1 में दिया हुआ है।

38–**प्रारम्भिक वेतन (Initial Pay)**–सचिवालय में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन का विनियमन समय-समय पर यथासंशोधित यू0पी0 फण्डामेन्टल रूल्स के अधीन होगा।

39–**वेतन वृद्धि**–(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी विपरीत उपबन्धों के होते हुये भी, किसी परिवीक्षी को परिवीक्षा की अवधि में उसके वेतन-क्रम में प्रत्येक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि इस शर्त के अधीन दी जायेगी कि उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक प्रतिवेदित

किया गया हो। यदि संतोष देने में असफलता के कारण परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ी हुई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिवीक्षा की अवधि केवल परिवीक्षा की किसी विभागीय परीक्षा में असफलता के कारण बढ़ाई जाती है तो बढ़ी हुई अवधि की गणना वेतन–वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी, किन्तु बढ़ोत्तरी की ऐसी रोक का प्रभाव उसकी भविष्य की वेतन वृद्धियों को स्थगित करने वाला नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपनी नियुक्ति के पहले से ही सरकारी या परिषद् सचिवालय अथवा सचिवालय की सेवा में स्थायी हो तो उसकी परिवीक्षा की अवधि में वेतन सामान्य नियम 50 में संदर्भित नियमों के अनुसार नियत किया जायेगा।

(3) वेतन–वृद्धि देने, उसके रोकने तथा उससे संबंधित ऐसे अन्य विषयों के विनियमन के लिये, आवश्यक संशोधनों सहित, वही नियम होंगे, जो सरकार ने सरकारी सचिवालय के समकक्ष संवर्ग के पदों के लिये नियम अथवा सामान्य आदेश द्वारा नियत किये हों।

40–**दक्षतावरोध**–सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दक्षतावरोध का मानदण्ड वह होगा, जो इस संबंध में विशेषतया सरकारी सचिवालय के समकक्ष संवर्ग के पदों के लिये बनाये गये नियमों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिय सरकार द्वारा दिये गये सामान्य आदेशों में निर्धारित हों।

## भाग–7 प्रतिनियुक्ति

[41–**प्रतिनियुक्ति पर सेवा की शर्तें**–ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन और ऐसी सीमा तक, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी परिदाय प्राधिकारी तथा वित्त विभाग की सहमति से, आदेश द्वारा अवधारित करें, सचिवालय में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसा की उन्हीं शर्तों के अध्यधीन बने रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, जिनके लिए वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व हकदार था।][29]

42–**सचिवालय में प्रतिनियुक्ति किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही**– यदि नियुक्ति प्राधिकारी के मत में सचिवालय में प्रतिनियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही करना आवश्यक हो तो उसकी सेवायें उधारदायी प्राधिकारी के अधीन पुनः रख दी जायेंगी और प्रारम्भिक जांच से, यदि हुई हो तो, सम्बद्ध पत्रादि भी उधार दायी प्राधिकारी को भेज दिये जायेंगे।

## भाग–8 शास्तियां और अपील

43–**शास्तियां**–सचिवालय में नियुक्त व्यक्तियों के लिये शास्तियां और उनको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया वही होगी जो सरकारी सचिवालय के समकक्ष श्रेणी के पदों पर लागू होती है।

44–**दण्ड देने वाला प्राधिकारी**–संविधान के अनुच्छेद–311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सेवा के किसी सदस्य पर शास्ति आरोपित करने की शक्ति उसके नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगी।

---

[29] अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

45–**अपील**–सचिवालय में नियुक्त किसी व्यक्ति को जिस पर कोई शास्ति आरोपित की गयी हो, शास्ति के ऐसे आदेश के विरुद्ध केवल एक अपील करने का अधिकार होगा और ऐसी अपील यदि शास्ति आरोपित करने वाला नियुक्ति प्राधिकारी–

(क) प्रमुख सचिव हो, तो अध्यक्ष को, या

(ख) अध्यक्ष हो, तो राज्यपाल को, की जायेगी।

**भाग 9– अन्य उपबन्ध**

46–**ज्येष्ठता**–नियम 19 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता एतद्पश्चात् दिये गये प्राविधानों के अतिरिक्त मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जायेगी और जहां एक से अधिक व्यक्ति साथ–साथ नियुक्त होंगे, ज्येष्ठता उसी क्रम में होगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में व्यवस्थित होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि सीधी भर्ती से चुने गये अभ्यर्थियों की आपसी ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पदोन्नति द्वारा चुने गये व्यक्तियों की आपसी ज्येष्ठता वही होगी जो उनकी पदोन्नति के समय उनके द्वारा निर्धारित मौलिक नियुक्तियों में थी।

**टिप्पणी**–(1) जहां पर नियुक्ति आदेश में कोई विशेष तिथि, जिससे किसी व्यक्ति की मौलिक नियुक्ति प्रभावी होनी है (जो सामान्यतया किसी स्थायी पद की रिक्ति से परिवीक्षा पर रखे जाने की तिथि होती है) दी हुई होती है, वह तिथि मौलिक नियुक्ति के आदेश होने की तिथि मानी जायेगी, अन्य मामलों में इसे आदेश जारी करने की तिथि मानी जायेगी।

**टिप्पणी**–(2) यदि कोई सीधी भर्ती द्वारा चुना गया अभ्यर्थी बिना किसी संतोषजनक कारण के, कार्य भार ग्रहण करने में असामान्यतया अधिक समय लेता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् उसे ज्येष्ठता सूची में ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के नीचे रख सकते हैं जो पहले कार्यभार ग्रहण करें।

47–**प्रतिभूति**–कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को फाइनेन्शियल हैण्डबुक वाल्यूम 5, भाग 1 में दिये गये नियमानुसार 5,000 रुपये की धनराशि की प्रतिभूति देनी होगी।

48–**सेवा में सदस्यों का आचरण**–इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सरकारी कर्मचारियों के आचरण को शासित करने वाले राज्य सरकार के समस्त आदेशों और नियमों जिनमें समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली, 1956 (उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स, 1956) भी सम्मिलित है, सचिवालय में नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुपालनीय आचरण अनुशासन एवं नियंत्रण संबंधी अन्य सामान्य अथवा विशेष आदेश दे सकते हैं।

[49–**नियमों को शिथिल करने की अध्यक्ष की शक्ति**–अध्यक्ष, असाधारण परिस्थितियों में इस नियमावली में किसी पद के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हता से भिन्न अन्य अर्हताओं में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।][30]

---

[30] -अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

**50–सेवाओं की अन्य शर्तें**–(1) ऐसे मामलों में, जो विशिष्ट रूप में इन नियमों अथवा इनके अधीन दिये गये अथवा जारी किये गये आदेशों अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सचिवालय में नियुक्त व्यक्ति उन नियमों, विनियमों तथा आदेशों से (आवश्यक परिवर्तनों के साथ) शासित होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में समकक्ष पदों पर सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्य रूप से लागू हों।

(2) सन्देह की दशा में नियम 51 के अनुसार अध्यक्ष–

(क) सरकार के अधीन उन सेवकों का जो सचिवालय के पदों में समकक्ष है और

(ख) सरकार के अधीन पदों पर प्रयुक्त उन नियमों, विनियमों और आदेशों तथा उनमें परिवर्तन के संबंध में जो सचिवालय में समकक्ष पदों पर लागू होगें, निश्चय करेंगें।

**51–अध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करने की प्रक्रिया**–अन्यथा उपबन्धित व्यवस्था के अतिरिक्त इन नियमों के अधीन किसी आदेश को जारी किये जाने के पूर्व अध्यक्ष सरकार के उन विभागों अथवा प्राधिकारियों से, यथास्थिति, परामर्श अथवा सहमति प्राप्त करेंगे जिनसे अथवा जिनकी समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश रूल्स आफ बिजनेस एण्ड सेक्रेटेरियट इन्स्ट्रक्शन्स, 1955 अथवा यथास्थिति संविधान के अनुच्छेद–356 के अधीन किसी उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि में प्रवृत्त किसी तत्समय नियमों तथा इस संबंध में अन्य तत्समय प्रवृत्त नियमों एवं सरकारी आदेश के अधीन ऐसे आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार के सचिवालय के किसी विभाग का परामर्श अथवा सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

**52–अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश का प्रमाणीकरण**–इन नियमों के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष के आदेश को ऐसी रीति से तथा ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा जिन्हें अध्यक्ष समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें।

**53–निरसन तथा व्यावृत्ति**–इन नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त, इन नियमों के समकक्ष समस्त नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सचिवालय के अधिकारी और सेवक वर्ग पर लागू थे, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निरस्त किये गये नियमों के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश अथवा किया गया कोई कार्य इन नियमों के अधीन दिया हुआ या किया हुआ समझा जायेगा।

## अनुसूची–1

**{नियम 3(3) और 37 देखिये}**

| पद का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| प्रमुख सचिव, विधान सभा | 67000–79,000 | 1 | स्थायी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| अनु सचिव | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 6600/– | 9 | स्थायी |
| मार्शल | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 5400/– | 1 | स्थायी |
| उप मार्शल | 9300–34,800<br>ग्रेड पे रु0 4600/– | 1 | स्थायी |
| अनुभाग अधिकारी | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 5400/– | 16 | 15 स्थायी<br>01 अस्थायी |
| पुस्तकाध्यक्ष एवं मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 6600/– | 1 | स्थायी |
| मुख्य सम्पादक | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 6600/– | 1 | स्थायी |
| सम्पादक | 9300–34,800<br>ग्रेड पे रु0 4600/– | 2 | स्थायी |
| शोध एवं संदर्भ अधिकारी | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 5400/– | 3 | स्थायी |
| मुख्य प्रतिवेदक | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 7600/– | 2 | 01 स्थायी<br>01 अस्थायी |
| उप मुख्य प्रतिवेदक | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 6600/– | 4 | 01 स्थायी<br>03 अस्थायी |
| निजी सचिव (श्रेणी–4) | 37400–67,000<br>ग्रेड पे रु0 8700/– | 1 | स्थायी |
| निजी सचिव (श्रेणी–3) | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 7600/– | 1 | स्थायी |
| निजी सचिव (श्रेणी–2) | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 6600/– | 2 | 01 स्थायी<br>01 अस्थायी |
| निजी सचिव (श्रेणी–1)<br>(12-1=11) | 15600–39,100<br>ग्रेड पे रु0 5400/– | 11 | 09 स्थायी, 02 अस्थायी<br>[1 पद आस्थगित कर निजी सचिव (श्रेणी–2) का पद सृजित] |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| प्रतिवेदक (वृत्तलेखक) (17-6=11) | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4800/— | 11 | 11 स्थायी (6 पद आस्थगित कर 1 पद प्रधान प्रतिवेदक, 1 पद प्रमुख प्रतिवेदक, 1 पद मुख्य प्रतिवेदक तथा 3 पद उप मुख्य प्रतिवेदक के सृजित) |
| उप पुस्तकाध्यक्ष | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4600/— | 1 | 01 स्थायी |
| सहायक पुस्तकाध्यक्ष | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4200/— | 1 | 01 स्थायी |
| सूचीकार | 5200—20,200 ग्रेड पे रु0 2800/— | 4 | 04 स्थायी |
| समीक्षा अधिकारी (83-1=82) | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4800/— | 82 | 65 स्थायी 17 अस्थायी (01 पद आस्थगित कर व्यवस्थाधिकारी का पद सृजित) |
| अनुवादक | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4800/— | 4 | 04 स्थायी |
| अपर निजी सचिव | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4800/— | 35 | 32 स्थायी 03 अस्थायी |
| कोषाध्यक्ष | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4800/— | 1 | 01 स्थायी |
| सहायक समीक्षा अधिकारी (88-5=83) | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4200/— | 83 | 75 स्थायी 08 अस्थायी (05 पदों को आस्थगित कर मृतक आश्रितों के लिए 05 जूनियर क्लर्क के पद सृजित) |
| सहायक मार्शल (पुरुष/महिला) (2+1=3) | 9300—34,800 ग्रेड पे रु0 4200/— | 3 | 03 स्थायी |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| ड्राइवर | 9300–34,800<br>ग्रेड पे रु0 4400/– | 01 | 01 स्थायी |
| | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 2800/– | 04 | 04 स्थायी |
| | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 2400/– | 04 | 04 स्थायी |
| | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1900/– | 06 | 05 स्थायी +01 अस्थायी |
| विधान सभा रक्षक | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 2000/– | 44 | 44 स्थायी |
| शिक्षित दफ्तरी | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 5 | 05 स्थायी |
| जिल्दसाज | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 2 | 02 स्थायी |
| दफ्तरी | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 6 | 06 स्थायी |
| जमादार | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 5 | 05 स्थायी |
| द्वारपाल (जेनिटर) | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 1 | 01 स्थायी |
| चपरासी | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 91 | 88 स्थायी<br>03 अस्थाई |
| चपरासी (डोर कीपर) | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 3 | 03 स्थायी |
| फर्राश | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 2 | 02 स्थायी |
| पानीवाला | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 2 | 02 स्थायी |
| सफाईकार | 5200–20,200<br>ग्रेड पे रु0 1800/– | 8 | 08 स्थायी |

## अनुसूची–2

[नियम संख्या 32 (2) (ग) देखिये]

### घोषणा का प्रपत्र

(क)

(उनके लिये जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं इसके पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति अर्जित (आक्वायर) करता हूं तो मैं इस तथ्य की घोषणा संबंधित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक :–

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

(ख)

(उनके लिये जिनके पास अचल सम्पत्ति है)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे अधिकार में निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है :–

**भू–सम्पत्ति**

| मैं धारित भूमि जिला तहसील ग्राम | क्षेत्र एकड़ में | अर्जित अथवा पूर्वजीय, यदि अर्जित, तो अर्जन का दिनांक | वार्षिक राजस्व | आंकलित मूल्य | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## गृह–सम्पत्ति

| क्रमांक | गृह में स्थित है ग्राम/नगरी/जिला (टाउन) अथवा नगर | गृह की संख्या | अर्जित अथवा पूर्वजीय, यदि अर्जित तो अर्जन का दिनांक | क्या निवास के प्रयोग में है अथवा किराये पर दिया है | वार्षिक किराया | आंकलित मूल्य | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

यदि मैं इसके उपरान्त भविष्य में अचल सम्पत्ति अर्जित करता हूं तो मैं इस तथ्य की घोषणा संबंधित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

**टिप्पणी**:–अचल सम्पत्ति में ऐसी गृह अथवा भू–सम्पत्ति सम्मिलित है जो बन्धक अथवा पट्टे पर हो।

ऐसी सम्पत्ति जो किसी अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी के द्वारा, या उसकी ओर से अथवा उसके परिवार के किसी ऐसे सदस्य द्वारा, या उसकी ओर से उसके साथ संयुक्त हो अथवा रहता हो अथवा किसी भी प्रकार से उस पर आश्रित हो, घृत अथवा प्रतिबन्धित हो, इस घोषणा के प्रयोजन के लिये अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अर्जित या प्रतिबन्धित समझी जायेगी।

(ग)

[उनके लिये जिनके पास कोई अंश (शेयर) अथवा विनिधान (इन्वेस्टमेन्ट) नहीं है]

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास कोई अंश अथवा अन्य विनिधान नहीं है। यदि मैं इसके उपरान्त कोई अंश अर्जित करता हूं अथवा अन्य विनिधान करता हूं तो इस तथ्य की घोषणा संबंधित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा मैं करूंगा।

दिनांक

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

(घ)

[उनके लिये जिनके पास कोई अंश अथवा अन्य विनिधान हैं]

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मेरे पास निम्नलिखित अंश तथा विनिधान है

**अंश**

| क्रमांक | विवरण | अर्जित करने का दिनांक | प्रत्येक अंश मूल्य | पारित अंश की संख्या | अंशो के मूल्य योग | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| क्रमांक | विवरण | विनिधान का दिनांक | मूल्य | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

यदि मैं, भविष्य में अंश अर्जित करता हूं अथवा विनिधान करता हूं तो इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में करूंगा।

दिनांक

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

प्रेषक,

आर०बी०भास्कर,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 25 मार्च, 1994

**विषयः**–उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

उपरोक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 1994 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994" की प्रति संलग्न करते हुये मुझे उक्त अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं/व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है:–

(1) इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में लोक सेवाओं और पदों को विस्तार से परिभाषित किया गया है, जिनमें इस अधिनियम के अनुसार आरक्षण लागू होगा। उक्त खण्ड (ग) के अनुसार यह आरक्षण राज्य के कार्यकलाप से संबंधित समस्त सेवाओं और पदों, समस्त स्थानीय प्राधिकारी (लोकल आथारिटीज) की सभी सेवाओं और पदों, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित ऐसी समस्त सहकारी समितियों जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति के अंश पूंजी के 51% से कम न हो, की सभी सेवाओं/पदों, सभी बोर्डो, निगमों, कानूनी निकायों जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंनत्रणाधीनहो और ऐसी सभी सरकारी कम्पनियों जिसमें सरकार द्वारा धृत समादप्त शेयर पूंजी 51% से कम न हो से संबंधित सभी सेवाओं और पदों, अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं छोड़कर राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन सभी शिक्षण संस्थाओं को या सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, की सभी सेवाओं और पदों तथा ऐसी समस्त सेवाओं और पदों, जिनमें इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक (अर्थात् 11 दिसम्बर, 1993) को सरकार के आदेशों द्वारा आरक्षण लागू था, पर उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) उपरोक्त समस्त सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों के पक्ष में 21% अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 2% और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में 27% आरक्षण सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, सरकार द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार, लागू होगा।

(3) यदि किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जायेगी तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो और ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजातियों के उपरान्त अभ्यर्थी, उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु, उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जायेगी।

(4) यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा, अर्थात उसे अनारक्षित व्यक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा आयु सीमा में छूट आदि) का उपयोग किया हो।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथा स्थिति जानबूझ कर उल्लंघन करने, या उन्हें विफल करने के आशय से कोइ कार्य किये जाने पर, संबंधित अधिकारी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जायेगा, दोष सिद्ध होने पर, अधिकतम तीन मास के कारावास या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक (11 दिसम्बर, 1993) को पदोन्नति के मामलों में आरक्षण से संबंधित सरकार के जो आदेश लागू थे, वह यथावत लागू होगें।

2–आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न अधिनियम, 1994 की समस्त प्रावधानों का सभी स्तरों पर, उन सभी लोक सेवाओं व पदों के संबंध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिनका उल्लेख इस शासनादेश के प्रस्तर–1 के खण्ड (1) में किया गया है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें ताकि इन प्रावधानों का सभी संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(आर०बी० भास्कर)

सचिव।

**विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01 जुलाई, 2012 को स्थायी/अस्थायी पदों की अद्यावधिक स्थिति राजपत्रित अधिकारी–**

| क्र0सं0 | पदों का नाम | पदों की संख्या | | वेतन क्रम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थायी | अस्थायी | | |
| 1 | प्रमुख सचिव | 1 | – | 67000–79000 | |
| 2 | विशेष सचिव | 2 | – | 37400–67000 (ग्रेड पे–8900/–) | |
| 3 | प्रधान निजी सचिव (निःसम्वर्गीय) | – | 1 | 37400–67000 (ग्रेड पे–8900/–) | |
| 4 | प्रधान प्रतिवेदक (निःसम्वर्गीय) | – | 1 | 37400–67000 (ग्रेड पे–8900/–) | |
| 5 | संयुक्त सचिव | 4 | – | 37400–67000 (ग्रेड पे–8700/–) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | संयुक्त सचिव एवं वित्त नियंत्रक | – | 1 | 37400–67000 (ग्रेड पे–8700/–) | |
| 7 | निजी सचिव (श्रेणी–4) | 1 | – | 37400–67000 (ग्रेड पे–8700/–) | |
| 8 | प्रमुख प्रतिवेदक | – | 1 | 37400–67000 (ग्रेड पे–8700/–) | |
| 9 | उप सचिव | 5 | – | 15600–39100 (ग्रेड पे–7600/–) | |
| 10 | निजी सचिव (श्रेणी–3) | 1 | – | 15600–39100 (ग्रेड पे–7600/–) | |
| 11 | मुख्य प्रतिवेदक | 1 | 1 | 15600–39100 (ग्रेड पे–7600/–) | |
| 12 | उप सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी | – | 1 | 15600–39100 (ग्रेड पे–7600/–) | |
| 13 | पुस्तकाध्यक्ष एवं मुख्य प्रलेखीकरण अधिकारी | 1 | – | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | |
| 14 | विशेष कार्याधिकारी (शोध) (निःसम्वर्गीय) | – | 1 | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | |
| 15 | अनु सचिव | 09 | – | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | |
| 16 | उप मुख्य प्रतिवेदक | 1 | 3 | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | |
| 17 | निजी सचिव (श्रेणी–2) | 1 | 1 | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | (निजी सचिव श्रेणी–1 का एक स्थायी पद आस्थगित कर निजी सचिव–श्रेणी–2 का एक पद सृजित |
| 18 | विशेष कार्याधिकारी (निःसम्वर्गीय) | – | 1 | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | |
| 19 | मुख्य सम्पादक | 1 | – | 15600–39100 (ग्रेड पे–6600/–) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | विशेष कार्याधिकारी (निःसम्वर्गीय) | — | 1 | 15600—39100 (ग्रेड पे—6600/—) | |
| 21 | मुख्य व्यवस्थाधिकारी (निःसम्वर्गीय) | — | 1 | 15600—39100 (ग्रेड पे—6600/—) | (समीक्षा अधिकारी एवं केयर टेकर का एक स्थायी पद आस्थगित) |
| 22 | मार्शल | 1 | — | 15600—39100 (ग्रेड पे—5400/—) | |
| 23 | शोध एवं संदर्भ अधिकारी | 3 | — | 15600—39100 (ग्रेड पे—5400/—) | |
| 24 | जन सम्पर्क अधिकारी (निःसम्वर्गीय) | — | 3 | 15600—39100 (ग्रेड पे—5400/—) | |
| 25 | सूचना अधिकारी मा0 अध्यक्ष | 1 | — | 9300—34800 (ग्रेड पे—4600/—) | वर्तमान पद धारकों 15600—39100 ग्रेड पे 5400/— वैयक्तिक रूप से |
| 26 | अनुभाग अधिकारी | 16 | — | 9300—34800 (ग्रेड पे—5400/—) | |
| 27 | अनुभाग अधिकारी (लेखा) | 1 | — | 9300—34800 (ग्रेड पे—5400/—) | |
| 28 | निजी सचिव (श्रेणी—1) (12—1) | 9 | 2 | 9300—34800 (ग्रेड पे—5400/—) | (निजी सचिव श्रेणी—1 का एक स्थायी पद आस्थगित कर निजी सचिव—श्रेणी—2 का एक पद सृजित |
| 29 | प्रतिवेदक (17—6) | 10 | 1 | 9300—34800 (ग्रेड पे—4800/—) | प्रतिवेदक के छः स्थायी पद आस्थगित कर संवर्ग में निम्न उच्च पदों का सृजन |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 1–प्रधान प्रतिवेदक–एक पद<br>2–प्रमुख प्रतिवेदक–एक पद<br>3–मुख्य प्रतिवेदक–एक पद<br>4–उप मुख्य प्रतिवेदक–तीन पद |
| 30 | सम्पादक | 2 – | 9300–34800<br>ग्रेड पे–4600/– | |
| 31 | डिप्टी मार्शल | 1 – | 9300–34800<br>ग्रेड पे–4600/– | |
| | योग– | 72 20 | | |

**अराजपत्रित कर्मचारी (तृतीय श्रेणी)**

| क्र0सं0 | पदों का नाम | पदों की संख्या<br>स्थायी अस्थायी | वेतन क्रम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उप पुस्तकाध्यक्ष | 1 – | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4600/–) | |
| 2 | समीक्षा अधिकारी (83–1) | 65 17 | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4800/–) | (समीक्षा अधिकारी एवं केयर टेकर का एक पद आस्थगित) |
| 3 | अपर निजी सचिव | 32 3 | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4800/–) | |
| 4 | आडीटर | 4 – | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4800/–) | |
| 5 | अनुवादक | 4 – | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4800/–) | |
| 6 | समी0 अधिकारी (लेखा) | 4 – | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4800/–) | |
| 7 | व्यवस्थापक | – 1 | 9300–34800<br>(ग्रेड पे–4200/–) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | सहायक मार्शल | 2 | — | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | |
| 9 | सहायक मार्शल (महिला) | 1 | — | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | |
| 10 | माइक्रोफोटोग्राफिस्ट | — | 1 | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | प्राविधिक सहायक का एक स्थायी पद आस्थगित |
| 11 | शोध एवं संदर्भ सहायक | 10 | — | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | |
| 12 | सहायक पुस्तकाध्यक्ष | 1 | — | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | |
| 13 | सहायक समीक्षा अधिकारी (88–5–83) | 75 | 08 | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | (सहायक समीक्षा अधिकारी के पाँच स्थायी पद आस्थगित कर जू0ग्रे0 क्लर्क के पाँच पद सृजित) |
| 14 | सूचीकार (कैटलागर) | 4 | — | 5200–20200 (ग्रेड पे–2800/–) | |
| 15 | टेलीफोन सुपरवाइजर | 3 | — | 5200–20200 (ग्रेड पे–2800/–) | |
| 16 | टेलीफोन मानीटर | 4 | — | 5200–20200 (ग्रेड पे–2800/–) | |
| 17 | टेलीफोन आपरेटर (35–1) | 34 | — | 5200–20200 (ग्रेड पे–2800/–) | एक स्थायी पद आस्थगित कर जू0ग्रे0 क्लर्क का पद सृजित |
| 18 | वरिष्ठ सुरक्षा सहायक | 4 | — | 5200–20200 (ग्रेड पे–2400/–) | |
| 19 | वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (महिला) | 1 | — | 5200–20200 (ग्रेड पे–2400/–) | |
| 20 | जूनियर ग्रेड क्लर्क | — | 13 | 5200–20200 (ग्रेड पे–2000/–) | स0स0अधि0 के पाँच तथा टेली0 आप0 का एक पद आस्थगित |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | सुरक्षा सहायक | 44 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–2000/–) | |
| 22 | सुरक्षा सहायक (महिला) | 10 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–2000/–) | |
| 23 | कारचालक (ग्रेड–1) | 1 | – | 9300–34800 (ग्रेड पे–4200/–) | |
| 24 | कारचालक (ग्रेड–2) | 4 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–2800/–) | |
| 25 | कारचालक (ग्रेड–3) | 4 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–2400/–) | |
| 26 | कारचालक (ग्रेड–4) | 5 | 1 | 5200–20200 (ग्रेड पे–1900/–) | |
| | योग– | 317 | 44 | | |

**अराजपत्रित कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी)**

| क्र0सं0 | पदों का नाम | पदों की संख्या स्थायी | अस्थायी | वेतनक्रम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | टाइपराइटर मैकेनिक | 1 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 2 | डुप्लीकेटर आपरेटर | 1 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 3 | बुक बाइन्डर | 2 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 4 | दफ्तरी | 11 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 5 | जैनेटर | 1 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 6 | वरिष्ठ अनुसेवक | 4 | 1 | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 7 | सफाई मजदूर | 8 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 8 | अनुसेवक | 88 | 3 | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 9 | डोरकीपर | 3 | – | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | फर्राश | 2 — | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| 11 | वाटरमैन | 2 — | 5200–20200 (ग्रेड पे–1800/–) | |
| | योग– | 123 04 | | |

| पद | स्थायी | अस्थायी | योग |
|---|---|---|---|
| राजपत्रित अधिकारी | 72 | 20 | 92 |
| अराजपत्रित (तृतीय श्रेणी) | 317 | 44 | 361 |
| अराजपत्रित (चतुर्थ श्रेणी) | 123 | 04 | 127 |
| **कुल योग–** | **512** | **68** | **580** |

**संलग्नक–2**

## परिशिष्ट–89

### उत्तर प्रदेश सरकार

### कार्मिक अनुभाग (2)

संख्या 21/4–1971–कार्मिक (2)

लखनऊ, 23 जून, 1979

### अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ–1–(1) यह नियमावली, 'उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979' कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन– उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–2 तथा 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम–2 तथा 4 रख दिये जायेंगे।

## उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 2–अधिकतम आयु सीमा–राज्यपाल के नियम विधायी अधिकार के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के संबंध में जिन पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होगी। | 2–अधिकतम आयु सीमा–राज्यपाल के नियम विधायी अधिकार के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के संबंध में जिन पर भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी। |
| नियमावली का अधिभावी प्रभाव–यह नियमावली संगत सेवा नियमों में दिये गये किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अलावा ऐसे विधायन के संबंध में, जो इस नियमावली की प्रवृत्ति से पूर्व किया गया हो, प्रभावी होंगी। | नियमावली का अधिभावी प्रभाव–(1) यह नियमावली संगत नियमों में दी गयी प्रतिकूल बात के होते हुए भी निम्न के अलावा सभी मामलों में प्रभावी होंगी :– |
| | (क) जहां परीक्षा आवश्यक है व परीक्षा हो चुकी है। |

| स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| | (ख) जहां केवल साक्षात्कार आवश्यक व साक्षात्कार हो चुका है। |
| | (ग) जहां बिना परीक्षा अथवा साक्षात्कार के चयन होना है व चयन हो चुका है। |
| | (2) यदि उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979 के लागू होने से पहले किसी पद पर चयन हेतु विज्ञापन दे दिये गये हैं या प्रार्थना-पत्र आमंत्रित कर लिये गये हैं, तो आयु की गणना उसी दिनांक को की जायेगी जो दिनांक पूर्व में दिये गये इस विज्ञापन अथवा प्रार्थना-पत्र मांगने के आदेश में निर्धारित थी। |

आज्ञा से,

**दिलीप कुमार भट्टाचार्या,**

मुख्य सचिव।

**संख्या 21/4–1971(2)–कार्मिक–2**

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी/उर्दू रूपान्तर की एक प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

---

**संख्या 21/4–1971(1)–कार्मिक–2**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालाध्यक्ष।

(3) आयोग के टेलेक्स संख्या जी–1–1948–231/1940, दिनांक 18 जून, 1970 तथा पत्र संख्या जी–1–1924/231/1940, दिनांक 18 जून, 1979 के संदर्भ में सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

वे कृपया इस नियमावली द्वारा प्रदत्त आयु सीमा से अर्ह हुए अभ्यर्थियों को भी परीक्षा/चयन के अवसर सुनिश्चित कराने हेतु जहां विज्ञापन निकल भी चुके हैं, या आवेदन-पत्रों के दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है, अथवा आगामी अवधि शेष है तथा तद्विषयक परीक्षा, साक्षात्कार एवं चयन नहीं हुए हैं, उन मामलों में पूरक विज्ञापन जारी कर इस व्यवस्था को लागू करायें।

---

**संख्या 21/4–1971(3)–कार्मिक–2**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

(2) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिव।

आज्ञा से,

**सुमन कुमार माडबल,**

सचिव।

*संलग्नक–3*

# उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

---

संख्या 18/2/1981–कार्मिक–2

लखनऊ, 25 फरवरी, 1983

---

## अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 के, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 2 में शब्द और अंक "28 वर्ष" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तीस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

नियम 4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली के नियम 4 में, उप नियम (2) में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1979" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1983" रख दिये जायेंगे।

---

आज्ञा से,

**राजेन्द्र पाल खोसला,**

मुख्य सचिव।

संख्या 13/2/1981 (1)–कार्मिक-2

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी/उर्दू रूपान्तर की एक प्रति सहित अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश के गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संख्या 18/2/1981 (1)–कार्मिक–2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2–उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष।

3–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4–मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिव।

5–उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिव।

6–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

7–गोपन अनु0–1 को उनके पत्र सं0 4/2/6–83–सी0एक्स0(1), दिनांक 13 फरवरी के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
**कर्नेल सिंह,**
सचिव।

---

## उत्तर प्रदेश सरकार

### कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 18/2/81–का–2/2000 तद्दिनांक
लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी, 2000

### अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवां संशोधन) नियमावली, 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (नवां संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

| | स्तम्भ–1<br>वर्तमान नियम | | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|---|---|
| अधिकतम आयु सीमा | 2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष होगी। | अधिकतम आयु सीमा | 2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी। |

परन्तु जहां उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (आठवां संशोधन) नियमावली, 1991 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान रही हो।

आज्ञा से,

**प्रदीप शुक्ला,**

सचिव।

संख्या 18/2/81–का–2/2000 तद्दिनांक

उपर्युक्त नियमावली की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं राजनैतिक पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सरदार पटेल भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3–सचिव, राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ/इलाहाबाद।

4–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।

7–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

8–रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

9–निबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

10–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।

11–निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।

12–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

13–समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण।

14–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट के आगामी अंक के विधायी, परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करें तथा प्रकाशित अधिसूचना की 8000 प्रतियां कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

**पी0 एन0 यादव,**

संयुक्त सचिव।

# उत्तर प्रदेश सरकार

## कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 18/2/81–का–2/2012

लखनऊ, 06 जून, 2012

## अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली, 1972 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

| स्तम्भ–1 | | स्तम्भ–2 | |
|---|---|---|---|
| विद्यमान नियम | | एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम | |
| अधिकतम आयु सीमा | 2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा बत्तीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी। | अधिकतम आयु सीमा | 2–राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं में और पदों पर भर्ती के संबंध में जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा चालीस वर्ष होगी :<br>परन्तु जहां उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने के पूर्व विज्ञापन किया जा चुका है, वहां अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो उक्त नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यमान थी। |

आज्ञा से,

**राजीव कुमार,**

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 विधान सभा–2012–(2512)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।